राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	आनन्दीलाल बनाम कैलाश हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	386/2024	
26/11/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पर सुनी गयी। उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार किया जाकर पत्रावली को नियमित सुनवाई हेतु नियत किया जाता है। अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 01/12/2025 को पेश हो।	
01/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 35 लगा. 38 के नाम खसरा नम्बर 1/1 स्थित ग्राम हस्तेड़ा की आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी को अपने खेत में कृषि प्रयोजन हेतु आने-जाने का रास्ता उपलब्ध नही होना अंकित करते हुए अपीलार्थी की आराजी में से रास्ता चाहा गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से अपीलार्थी की आराजी में से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान करने में क़ानूनी त्रुटी कारित की है क्युकी विधि में यह स्पष्ट प्रावधान निहित है कि अविभाजित आराजी का विभाजन होने से पूर्व एक सहखातेदार धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता नही चाह सकता एवं न ही प्राप्त कर सकता है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य का संज्ञान लिये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटी की है क्यूंकि जिस आराजी में से रेस्पो. द्वारा रास्ता चाहा गया है, उसमे अभी उसका कौनसा हिस्सा है, तय नही है। इस तथ्य के सम्बन्ध में एवं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के सम्बन्ध में अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक एवं क़ानूनी तथ्यों की स्पष्ट रूप से अनदेखी कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अत: अपील स्वीकार फरमाई जावे। अधिवक्ता केवियटकर्ता/रेस्पो. ने अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों का पूर्ण परिक्षण कर सही रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमे कोई त्रुटी नही है। अपीलार्थी द्वारा अपील में अंकित किया है कि पूर्व में रेस्पो. संख्या 1 के पास रास्ता है लेकिन इस रास्ते के मालिको से झगड़ा व विवाद है, इस कारण इस रास्ते से आना जाना	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

आनन्दीलाल बनाम कैलाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सम्भव नही है | अपीलार्थी द्वारा कथन किये गये यह तथ्य भी गलत है कि जब रेस्पो. के पास रास्ता ही नही है तो झगड़ा विवाद होने की सम्भावना नही है | तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट सही है कि रेस्पो. संख्या 1 के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नही है | तहसीलदार चौमु द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शित किया गया है कि रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है जो धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रदान किया गया है | अपील की मद नम्बर 3 की लाईन 12, 14, 18, 24 में जिस ऐनेक्चर को दर्शाया गया है, वह कोनसा ऐनेक्चर है, इस बाबत स्पष्टीकरण नही दिया गया है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से रेस्पो. संख्या 1 को उनकी भूमि पर कृषि कार्य हेतु साधन लाने ले जाने हेतु रास्ता अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही है | अत: अपील ख़ारिज फरमाई जावे |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अपीलार्थी द्वारा की गयी बहस न्यायोचित्त प्रतीत होती है कि प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा जिस आराजी खसरा नम्बर 1/1 में आने-जाने हेतु प्रकरण में रास्ता चाहा गया है, वह आराजी प्रार्थी/रेस्पो. के एकल स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजी नही होकर सयुंक्त खाते की आराजी है, ऐसे में इस तथ्य का परिक्षण किये बगैर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटी किया जाना जाहिर होता है | इसके अतिरिक्त प्रकरण में वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता के बिन्दु भी जाहिर हुआ है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय को इस तथ्य के सन्दर्भ में तहसीलदार से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर तथ्यों को विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया जाना उचित समझा जाता है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/05/2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त विवेचन में जाहिर बिन्दु का विस्तृत परिक्षण/विवेचन कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 01/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर